राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

ासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

दमा नंम्बर– 66/2011

1. बंशीधर पुत्र मामराज
1/1 मनकोरी देवी पत्नी स्व. बंशीधर
1/2 मुकेश कुमार पुत्र स्व. बंशीधर
1/3 बलबीर सिंह पुत्र स्व. बंशीधर
1/4 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. बंशीधर
2. संतराम पुत्र मामराज
3. रमेश पुत्र बनवारी नवीरा मामराज
जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. श्योचन्द पुत्र श्योपाल
2. दाताराम पुत्र श्योपाल
जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी पटवार हल्का गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. ग्यारसी देवी पुत्री श्योपाल पत्नी जगदीश जाति गुर्जर निवासी ढाणी गराटिया डाबला रेल्वे स्टेशन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
4. मेवा देवी पुत्री श्योपाल पत्नी रामेश्वर गुर्जर निवासी ढाणी थानावाली ग्राम डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।
6. उप पंजीयक तहसील खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: **दिनांक 18–08–2022**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:24:24 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस [illegible] किया है कि नवसृजित ग्राम देवनगर स्थित जमाबन्दी संवत् 2065 लगायत 2068 [illegible] 66 के खसरा नंबर 1531 रकबा 0.13 है., ख.नं. 1532 रकबा 0.10 [illegible] कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है. के वादीगण व प्रतिवादी [illegible] काबिज काश्त खातेदार हैं। खातेदार रामचन्द्र अविवाहित बिना वारिश फौत हो गया। [illegible]त वर्णित भूमि का गत खसरा नंबर 1236 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा था जिससे हाल सैटलमेंट में नये खसरा नंबर 1531, 1532, 1533 बने हैं। नवसृजित ग्राम देवनगर बनने से पूर्व यह भूमि ग्राम बाडलवास में थी। वादीगण की पूर्व ग्राम बाडलवास स्थित उक्त भूमि गत ख.नं. 1236 की भूमि पैतृक भूमि है। वादीगण के पिता मामराज तथा प्रतिवादी के पिता श्योपाल दोनों सगे भाई थे और इस भूमि को शामिल में काश्त करते रहे थे। लेकिन उक्त भूमि अकेले प्रतिवादीगण सं. 1

लगा. 4 के पिता के नाम चढ़ गई थी लेकिन जमाबन्दी संवत् 2018 लगा. 2021 में दोनों उप कृषक काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 के पिता ने अपने जीवनकाल करीब 35 वर्ष पहले इस भूमि का भाई बंटवारा कर अलग–अलग काश्त करना शुरू कर दिया था जिसके अनुसार भूमि हाल ख.नं. 1533 वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में तथा ख.नं. 1531 व 1532 प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 के हिस्से व कब्जे काश्त में है। वादीगण टेनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद से उक्त भूमि के उपकृषक है तथा वादीगण का उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन होने से वादीगण को अपनी हिस्से की इस भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खाता दुरूस्त कराकर वादीगण के हिस्से की भूमि वादीगण के नाम करवाने के लिए कहा प्रतिवादी सं. 1 व 2 इंकार हो गये। इसलिए वादीगण के लिये दावा करने हेतु वाद कारण उत्पन्न हुआ इसलिए यह वाद खातेदारी अधिकार घोषित कराने हेतु पेश है। वादीगण को प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 लगातार धमकी देते आ रहे है कि उक्त भूमि हमारे नाम से है इसलिय हम जबरन तुम्हारे हिस्से की भूमि ख.नं. 1533 पर कब्जा करेंगे एवं निर्माण कार्य करेंगे तथा निर्माण सामग्री डाल रहे हैं और तुम्हें भूमि काश्त नहीं करने देंगे। इसलिए वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि वे अपनी भूमि के अधिकार व हक तथा कब्जे को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें। इस प्रकार प्रतिवादीगण के धमकी देने से स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद कारण पैदा हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

क) वादीगण को ग्राम देवनगर स्थित जमाबंदी संवत् 2065 लगायत 2068 के खाता सं. 36 के हाल खसरा नंबर 1533 रकबा 0.10 है. का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार रिकार्ड राजस्व में वादीगण के नाम अमल दरामद कराया जावे।

ख) प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 1533 रकबा 0.10 है. पर जबरन कब्जा न करें तथा उक्त भूमि को किसी को भी विक्रय, दान रहन या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण न करें एवं किसी प्रकार का निर्माण ना करें व सामग्री न डाले। ऐसा न स्वयं करें तथा न ही अन्य किसी से करावे।

ग) यदि दौराने दावा प्रतिवादी सं. 1 से 4 किसी प्रकार का निर्माण कर लेते हैं तो उसे जरिये आज्ञापक आदेश से प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावे।

घ) प्रतिवादी सं. 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी सं. 6 को भी पाबन्द किया जावे कि उनके समक्ष प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 कोई भी विक्रय पत्र, दान पत्र, रहननाामा या अन्य हस्तान्तरण का दस्तावेज पेश करें तो उसे पंजीयन न करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने जवाब दावा प्रस्तुत [illegible] गण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया है तथा कथन [illegible] 2012 से श्योपाल पुत्र हरसहाय के नाम उसके अकेले के काश्त करने के कारण उसकी खातेदारी दर्ज हो गई थी। वादीगण के पूर्वज मामराज का इस भूमि से कोई स[illegible] सरोकार नहीं है। संवत् 2018 में राजस्व अधिकारियों की गलती या वादीगण के पूर्वज मामराज ने साजीश कर अपना नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया। इस भूमि को कभी वादीगण के पूर्वज या वादीगण ने कभी काश्त नहीं की। इस भूमि पर पहले प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योपाल का व अब प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण ने झूठा वाद पेश किया है जो आधारहीन है। अतः वादी का वाद भारी हर्जे–खर्चे से खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:24:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण सं. 3 से 6 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके वेरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम देवनगर प्रदर्श–2), नकल जमाबंदी संवत् 2065–68 ग्राम देवनगर (प्रदर्श–1), संवत् 2018–21 ग्राम ाडलवास (प्रदर्श–3), नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–4) पेश किये तथा मौखिक ाक्ष्य में शपथ पत्र बंशीधर पुत्र मामराज (पी.डब्ल्यू.–1), छोटूराम पुत्र मामराज (पी.डब्ल्यू. -2) भी पेश किये।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2018 ाम बाडलवास, संवत् 2022–25 ग्राम बाडलवास पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में बयान योचन्द पुत्र श्योपाल (डी.डब्ल्यू.–1), दाताराम पुत्र श्योपाल (डी.डब्ल्यू.–2) के कलमबद्ध ुरवाये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध लेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली र उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2018–21 (प्रदर्श–3) में भूमि गत खसरा नंबर 1236 रकबा 1 ाघा 3 बिस्वा स्योपाल पुत्र हरसाय कौम गूजर सा.देह स्योपाल मामराज पि0 हरसाय गूजर ा.देह दर्ज रिकार्ड है। खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–4) के अवलोकन से साबित है कि ूमि गत् खसरा नंबर 1236, 1236 मि. से हाल खसरा नंबर 1531, 1532, 1533 निर्मित हुए । ग्राम बाडलवास से ग्राम देवनगर नवसृजित होने पर वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1531, 532, 1533 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है. रामचन्द्र श्योचन्द दाताराम पि0 श्योपाल ाति गुजर सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। वादीगण द्वारा उनके हकपूर्वाधिकारी मामराज ा उपकृषक के रूप में जमाबन्दी संवत् 2018 खसरा नंबर 1236 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा नाम दर्ज होने से उक्त वाद पत्र के जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। किन वादीगण की ओर जमाबंदी संवत् 2018 (प्रदर्श–3) के अलावा अर्थात् उसके बाद नी निरन्तर जमाबंदीयां तथा संवत् 2018 से पूर्व की जमाबंदीयां पेश नहीं की हैं जिसके भाव में वादीगण का वाद साबित होना नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा क्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:24:24 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी